राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँसवाड़ा (राज.)
पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 240002, 242968 & 240945 (Fax) 240002
E-mail ID : dm-ban-rj@nic.in
bsw.center03@gmail.com

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No.45/2025/ 482 दिनांक 25/7/25

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2025 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 9,10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 व धारा 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम 1960 में दर्ज में दिनांक 14–04–2025 को जब्त किये गौवंश (बैल) का विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं	वहन रजिस्ट्रेशन	वाहन का प्रकार	बैलो की संख्या	वाहन चालक
1	RJ14GF8470	टाटा कंपनी का ट्रक 10 चक्का	10	श्री बलवीर सिंह पिता गुरुदास सिंह निवासी बडेगखेडा थाना लम्बी जिला श्री मुक्तसर साहेब, पंजाब
2	RJ21GD6113	टाटा कंपनी का ट्रक	10	श्री मोहम्मद ईकबाल जुबैरी पिता शकील जुबैरी निवासी कुरला, इस्ट मुंबई महाराष्ट्र
3	RJ21GB3873	टाटा कंपनी का ट्रक 12 चक्का	12	श्री रामदेव पिता हरीराम मेघवाल निवासी ढेहरु थाना केमसेर जिला नागौर, राजस्थान
4	RJ21GC4779	टाटा कंपनी का ट्रक 6 चक्का	10	श्री ल्क्षमण पिता रेखाराम चौधरी निवासी बेनीवालो की ढाणी थाना खींवसर इसर नावडा जिला नागौर
5	HR39C6362	टाटा कंपनी का ट्रक 10 चक्का	10	श्री गोमाराम पिता सोहनलाल निवासी जोशीयाद थाना सदर जिला नागौर
6	RJ19GD4777	टाटा कंपनी का ट्रक 12 चक्का	12	श्री बलजीत सिंह पिता करतार सिंह मेघवाल निवासी पथराला थाना संगतमण्डी जिला बठण्डा पंजाब
7	RJ19GD9915	टाटा कंपनी का ट्रक 12 चक्का	12	श्री महेन्द्र सिंह पिता कुशालसिंह निवासी सालवाखूर्द थाना पिपाडसिटी जिला जोधपुर
8	RJ21GA5403	टाटा कंपनी का ट्रक 12 चक्का	11	श्री स्वरुप सिंह पिता जूठेसिंह निवासी बकरायो की ढाणी थाना बेडापा जिला जोधपुर

थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा अनुसार जब्तशुदा बैलो को अवराई व चराई हेतु जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा को अग्रीम आदेश तक सम्भलवाया गया है। प्रकरण में अब तक कुल 87 बैलो में से 5 बैलो की मृत्यु दिनांक 14.04.2025, 12.06.2025, 01.07.2025, 15.07.2025, 19.07.2025 को हो चुकी है।

इस प्रकार थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा द्वारा जब्तशुदा 82 गौवंश (बैल) को सुरक्षा एवं चराई के लिए एवं प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा जिला बांसवाडा रजिस्ट्रेशन नं. 115/94 को सुपुर्द करने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बांसवाडा द्वारा प्रकरण में दौराने कार्यवाही जब्तशुदा गौवंश (बैलो) को प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा को अस्थायी तौर पर सम्भलवाया गया है।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 82 गौवंश (बैल) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा जिला बांसवाडा रजिस्ट्रेशन नं. 115/94 को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा 82 गौवंश (बैल) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा जिला बांसवाडा की होगी। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा को पाबंद किया जाता है कि गौशाला में सुपूर्दशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी करावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा जिला बांसवाडा बाध्य होगा।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:21:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँसवाड़ा (राज.)
पता : कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 240002, 242968 & 240945 (Fax) 240002
E-mail ID : dm-ban-rj@nic.in
bsw.center03@gmail.com

प्रतिलिपि :—

1. सयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, बॉसवाडा (राज.)
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा (राज.)
3. प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ बांसवाडा (गउ शाला) मदारेश्वर रोड, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:21:23 IST
Reason: SelfAttested